न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 53/2022

1-रामफल पुत्र हरवक्स
2-रामसिंह पुत्र हरवक्स जातियान माली निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1-राजस्थान सरकार जरिये तहशीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

असल अप्रार्थी

2-कमला पत्नी घनश्याम
3-सचिन पुत्र घनश्याम
4-अंशु पुत्री घनश्याम
5-मनीष पुत्री घनश्याम
6-निशु पुत्री घनश्याम नाबालिगान जरिये वली सरपरस्त माता कमला पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी कस्बा कामां
7-सन्ता पत्नी वेदराम जाति माली निवासी कस्बा कामां
8-कमल पुत्र वेदराम
9-राधा पुत्री वेदराम
10-सायना पुत्री वेदराम
11-शन्ति पत्नी हवलीराम जाति माली निवासी कस्बा कामां

तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 10.04.2023

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि साविक खसरा नम्बर 6970/5101/0.02 एयर वाके कस्बा कामां नं0 3 पूर्व में शन्ति बेबा हवलीराम, वेदराम, घनश्याम, रामफल, रामसिंह की कब्जेकाश्त व खातेदारी का रकवा है जिनमें से घनश्याम वेदराम का देहान्त हो चुका है । घनश्याम के वारिसान तरतीवी अप्राथीगण संख्या 2 लगायत 6 है व वेदराम के वारिसान तरतीवी अप्रार्थी से 7 लगायत 10 है जिनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है । भूप्रबन्धक विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 6970/5101/0.02 एयर का नया नम्बर 887 बनया गया है । परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक 6970/5101/0.02 एयर का नया नम्बर 887 बनाते वक्त मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दी में 0.02एयर रकवा दर्ज करने के बजाय 0.01एयर रकवा पूर्व के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकवा के विपरीत जाकर कतई गलत रूप से दर्ज किया गया है । जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है । विधि वजह प्रार्थीगण जमाबन्दी सं0 2063 से 2066 में खसरा नम्बर 6970/5101/0.02 एयर के आधार हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 887 रकवा 0.01 के स्थान पर 0.02 एयर रकवा दर्ज करा पाने का अधिकारी है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 887 का रकवा 0.01 के बजाय 0.02 एयर रकवा दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

n

जरिये अ... पेश किया कि प्रार्थीगण के द्वारा ... 10.02.2023 के द्वारा कस्बा कामां नं0 2 के साविक खसरा नम्बर 6970/5101/0.02(हाल नम्बर 887/0.01) की शुद्धि चाही गयी है । जिसमें पटवारी हल्का कामां नं3 की रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :– यह है कि राजस्व जमाबन्दी सं0 2067:70 के खाता संख्या 727 में आराजी खसरा नम्बर 6970/51012 रकवा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी दर्ज रिकार्ड है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2074–77 के खाता संख्या 806 पर हाल खसरा नम्बर 887/0.01 दर्ज रिकार्ड है । भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 5101मि0 रकवा 0.01 हैक्टर तथा हाल नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर दर्शाया है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074–77, 2063–66, मिलान क्षेत्रफल आधार कार्ड सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण में बहस प्रार्थीयान की सुनी गयी । तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व जमाबन्दी सं0 2067–70 के खाता संख्या 727 में आराजी खसरा नम्बर 6970/51012 रकवा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी दर्ज रिकार्ड है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2074–77 के खाता संख्या 806 पर हाल खसरा नम्बर 887/0.01 दर्ज रिकार्ड है । भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 5101मि0 रकवा 0.01 हैक्टर तथा हाल नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर दर्शाया है । जबकि जमाबन्दी सं06970/5101 रकवा 0.02 हैक्टर वाके ग्राम कस्बा कामां तहसील कामां है । भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 5101मि0 रकवा 0.01 हैक्टर तथा हाल नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर दर्शाया है । जो कि गलत है । जिसे शुद्ध किया जाकर खसरा नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर के स्थान पर 0.02हैक्टर रकवा किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है । तथा खसरा नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर के स्थान पर 0. हैक्टर रकवा किया जाता है । तहसीलदार कामां को खसरा नम्बर 887 रकवा 0.01 हैक्टर स्थान पर 0.02हैक्टर रकवा को शुद्ध किये जाने हेतु लिखा जावे । प्रकरण फैसल शुमार र बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)